

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान में अपराध व अपाधियों पर अंकुश लगाने के आदेश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्ग निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष गीडा के नेतृत्व में 30नि0 अभिषेक कुमार राय चौकी प्रभारी पिपरौली मय हमराह 30नि0 रमेशचन्द चौधरी, हे0कां0 कुवर बहादुर सिंह तेनुआ टोल प्लाजा पर तथा 30नि0 दीपक कुमार सिंह मय हमराही हे0कां0 ज्ञानाधारी पाल संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के चेकिंग में क्षेत्र में मामू थे। 30नि0 दीपक कुमार सिंह द्वारा जरिये दूरभाष 30नि0 अभिषेक कुमार राय को सूचना दी गयी कि दो अपराधी किम्स के व्यक्ति बेलीपार से बाघागाड़ा होते हुये तेनुआ टोल प्लाजा के तरफ जायेंगे। जो किसी अपराध करने के फिराक में है। सूचना पर 30नि0 अभिषेक कुमार राय मय हमराह के साथ बाघागाड़ा पुल के नीचे पहुचे कि तब तक 30नि0 दीपक कुमार सिंह मय हमराह के साथ भी आ गये। कुछ देर बाद ही मोटर सायकिल से दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये कि हिकमत अमली से हम पुलिस वाले घेर घारकर दोनो व्यक्तियों को रोका गया तथा नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो मोटर साईकिल(बजाज) नं0 यू0पी0 53 जेड 5597 लाल रंग की का चालक ने अपना नाम दीपू यादव पुत्र परमदेव यादव निवासी नैयपुरा थाना खजनी जनपद गोरखपुर उम्र 22 वर्ष बताया तथा जामा तलाशी में एक अदद तमंचा 312 बोर चालू हालत में तथा एक जिंदा कारतूस 312 बोर बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अनिल प्रजापति पुत्र दीनानाथ प्रजापति उम्र 21 वर्ष निवासी उपरोक्त बताया तथा जामा तलाशी में एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 709/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 710/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

कल दिनांक 08.10.2020 को थानाध्यक्ष गीडा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय बाघागाड़ा पुल के नीचे, दिनांक 08.10.2020 समय 23.10 बजे।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

1. दीपू यादव पुत्र परमदेव यादव निवासी नैयपुरा थाना खजनी जनपद गोरखपुर उम्र 22
2. अनिल प्रजापति पुत्र दीनानाथ प्रजापति निवासी नैयपुरा थाना खजनी जनपद गोरखपुर उम्र 21 वर्ष

बरामदगी:-

1. एक अदद तमंचा 312 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 312 बोर
2. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
3. एक मोटर साईकिल(बजाज) नं0 – यू0पी0 53 जेड 5597

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.30नि0 अभिषेक कुमार राय चौकी प्रभारी पिपरौली थाना गीडा जनपद गोरखपुर
- 2.30नि0 दीपक कुमार सिंह चौकी प्रभारी नौसड़ थाना गीडा जनपद गोरखपुर
- 3.30नि0 रमेशचन्द चौधरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर
- 4.हे0कां0 कुवर बहादुर सिंह थाना गीडा जनपद गोरखपुर
- 5.हे0कां0 ज्ञानाधारी पाल थाना गीडा जनपद गोरखपुर

अपराधिक इतिहास -

अभियुक्त अनिल प्रजापति पुत्र दीनानाथ प्रजापति निवासी नैयपुरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर थाना सहजनवा क्षेत्र में 12 लाख रूपये रंगदारी माँगने को लेकर

1. मु0अ0सं0 555/19 धारा 384/507 आईपीसी पंजीकृत है जिसमें दिनांक 16.11.2019 को थाना सहजनवा से जेल भेजा गया था।
2. मु0अ0सं0 276/16 धारा 431बी थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 555/17 धारा 323/325/504/506 आईपीसी थाना खजनी जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 48/19 धारा 323/504/506/452 आईपीसी थाना खजनी जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 54/19 धारा 147/148/149/323/452/504/506/307 भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर
6. मु0अ0सं0 73/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खजनी जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 590/2020 धारा 147/148/323/504/506/452 आईपीसी थाना खजनी जनपद गोरखपुर।

नोट - अभियुक्त अनिल प्रजापति उपरोक्त थाना खजनी का टाप 20 अपराधी है।